न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

1. रामलाल पिता पूनमचन्द जी जरादी मृतक के बजाय :–

1/1. देवेन्द्र पिता रामलाल मृतक के बजाय :–

1/2. राजेन्द्र पिता रामलाल जी जदारी, निवासी डूंगरपुर, तहसील डूंगरपुर

1/3. नरेश पिता रामलाल जी जदारी, निवासी डूंगरपुर, तहसील डूंगरपुर

1/4. भूपेन्द्र पिता रामलाल जी जदारी, निवासी डूंगरपुर, तहसील डूंगरपुर

1/5. उमाशंकर पिता रामलाल जी जदारी मृतक के बजाय :–

1/5/1. श्रीमती आशा पत्नी उमाशंकर जी जदारी, नि0 डूंगरपुर, तह0 डूंगरपुर

1/5/2. विजय पिता उमाशंकर जी जदारी, निवासी डूंगरपुर, तहसील डूंगरपुर

1/5/3. श्रीमती मोहनी पुत्री उमाशंकर जी जदारी, नि0 डूंगरपुर, तह0 डूंगरपुर

सभी के विशेष अधिकार पत्रधारी श्री लक्ष्मण पिता गोमा जी कटारा, निवासी वार्ड नंबर 5, डूंगरफला–पाल माथूगामडा, जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती सावित्री पत्नी साकलचन्द जी महाजन (बोहरा), निवासी बखारिया चोक डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भंवरलाल पिता तुलसीराम जी शर्मा, निवासी नवाडेरा, रतनपुर रोड़, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. भगवतीलाल पिता गोवर्धनलाल जी जैन, निवासी बैंकर्स स्ट्रीट डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. चन्द्रकान्त पिता पृथ्वीराज जी जैन, निवासी सेमारी, जिला उदयपुर हाल जयहिन्द नगर, डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 21.01.2019 प्र.सं. 27/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री सुनील सोमानी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 02–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चक डूंगरपुर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 22 रकबा 5.05 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें से 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता रामलाल ने दिनांक 29–08–1966 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने 1973 ने उक्त भूमि क्रय की जो पश्चातवर्ती विक्रय होने से वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतः वादीगण को वाद पत्र की कलम संख्या 26 की उप कलम ''क'' में वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 1 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में वादीगण की रिट याचिका खारिज हो चुकी है, इसलिए वादीगण का वाद विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 21–01–2019 से प्रार्थीगण का आदेश 1 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री सुनील सोमानी उपस्थित हुए। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर कोई गौर नहीं किया है एवं सारा निर्णय कयासी आधारों पर किया है। रिट दूसरों आराजी नंबरों बाबत है, जिसका विवादित आराजियात से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस

पर कोई गौर नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावते तथा प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में यह माना है कि रिट याचिकाकर्ता वर्तमान वादीगण ही हैं तथा विक्रय पत्र दिनांक 29–08–1966 में वर्णित भूमि का वर्तमान नंबर 82 रकबा 1.30 हैक्टर ही बताया गया है जो नगर परिषद डूंगरपुर की खातेदारी का है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद आदेश 1 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 के आवेदन के आधार पर खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 02–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

रामलाल के बजाय देवेन्द्र पिता रामलाल जरादी, निवासी डूंगरपुर व अन्य बनाम **श्रीमती सावित्री पत्नी साकलचन्द महाजन (बोहरा), नि0 बखारिया चोक डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**5/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **डूंगरपुर** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....21**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**02**....माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुनील सोमानी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**02**.....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:33:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: